



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर, 2020-आश्विन 10, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरी पेनकार्ड, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम रोहित सिंह चौहान आत्मज श्री रामपाल सिंह चौहान अंकित है तथा मेरे आधारकार्ड एवं वोटर आई. डी. में मेरा नाम रोहित सी गौतम आत्मज श्री रामपाल सिंह अंकित है. जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरे सही नाम रोहित सी गौतम आत्मज श्री रामपाल सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रोहित सिंह चौहान)

आत्मज-श्री रामपाल सिंह चौहान.

(250-बी.)

नया नाम :

(रोहित सी गौतम)

श्री रामपाल सिंह,

म. नं. डी-35/न्यू मिनाल रेसीडेंसी राज होम्स,

भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम दीक्षा गेड़ा है. विवाह उपरान्त मेरा नाम दीक्षा गुप्ता पति शुभम गुप्ता, निवासी 46-ए/2, अभिनंदन नगर, केशव गार्डन के पास, सुखलिया, इन्दौर (पिन 452010) मध्यप्रदेश हो गया है. भविष्य में मुझे दीक्षा गुप्ता पति शुभम गुप्ता के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :

(दीक्षा गेड़ा)

(251-बी.)

नया नाम :

(दीक्षा गुप्ता)

पति-शुभम गुप्ता.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे निक नेम पिन्टू परमार के नाम से जाना, पहचाना जाता था. जबकि अब मैंने अपना नाम बदलकर प्रतीक परमार कर लिया है. पिन्टू परमार व प्रतीक परमार दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रतीक परमार (Prateek Parmar) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा-पढ़ा बोला जावे.

पुराना नाम :

(PINTU PARMAR)

(255-बी.)

नया नाम :

(PRATEEK PARMAR)

निवासी-हनुमान मंदिर के पास बाजार मोहल्ला, फरद,

जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम सरोज गिरी पिता गजेन्द्र गिरी था एवं मार्कशीट भी इसी नाम से है व जाति प्रमाण-पत्र में सरोज गिरी पिता गजेन्द्र गिरी (गोस्वामी) अंकित है. मेरा निकाह इल्यास खान से हो जाने के बाद मेरा नाम परिवर्तित होकर सरवर खान हो गया था और मतदाता परिचय पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट में मेरा नाम सरवर खान दर्ज है. मेरी समस्त कार्यवाहियां इसी नाम से की जाती रही है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम है. मुझे भविष्य में सरवर खान के नाम से जाना जायेगा.

सरवर खान,
89, सुभाष मार्ग, इन्दौर.

(256-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसी क्र. 200933816 में मेरा नाम अभय पाराशर पुत्र श्री योगेन्द्र पाराशर, निवासी पुल रोड, सुभाष नगर, मुरैना अंकित है, जबकि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, हाईस्कूल अंकसूची में मेरा नाम युवराज पाराशर पुत्र श्री योगेन्द्र पाराशर, निवासी पुल रोड, सुभाष नगर, मुरैना म.प्र. अंकित है. जो कि सत्य व सही हैं. अतः अब मुझे भविष्य में युवराज पाराशर पुत्र श्री योगेन्द्र पाराशर, निवासी पुल रोड, सुभाष नगर, मुरैना मध्यप्रदेश के नाम से जाना, पहचाना पढ़ा-लिखा जाए एवं मेरी पॉलिसी क्रमांक 200933816 का भुगतान इसी नाम से किया जाए. आमजन को सूचित हो.

पुराना नाम :

(अभय पाराशर)

पुत्र-श्री योगेन्द्र पाराशर.

नया नाम :

(युवराज पाराशर)

पुत्र-श्री योगेन्द्र पाराशर.

(257-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, तुलसी नामदेव पुत्र श्री जगन्नाथ सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी एलआईसी की पॉलिसी क्रमांक 201939660 में मेरा नाम तुलसीराम सूर्यवंशी त्रुटिवश अंकित हो गया है. जबकि मेरे बैंक बचत खाते की पासबुक व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम तुलसी नामदेव अंकित है. अतः मेरी एलआईसी की पॉलिसी में अपना नाम तुलसीराम सूर्यवंशी के स्थान पर संशोधित कर तुलसी नामदेव अंकित किया जावे. उपरोक्त सही नाम तुलसीराम सूर्यवंशी एवं तुलसी नामदेव मेरे ही है.

पुराना नाम :

(तुलसीराम सूर्यवंशी)

नया नाम :

(तुलसी नामदेव)

पुत्र-श्री जगन्नाथ नामदेव,
पता-श्रीराम कॉलोनी, ए. बी. रोड,
गोल पहाड़िया, ग्वालियर.

(258-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विवेक भारद्वाज पुत्र श्री रामेश्वर करोसिया सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम बैजनाथ करोसिया था. जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में लिखा गया है. अब मैं अपना सरनेम बदलकर विवेक भारद्वाज कर रहा हूँ एवं वर्तमान में मैं, विवेक भारद्वाज के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा विवेक भारद्वाज के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ. बैजनाथ करोसिया एवं विवेक भारद्वाज मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम बैजनाथ करोसिया के स्थान पर विवेक भारद्वाज पुत्र श्री रामेश्वर करोसिया लिखा एवं पढ़ा जाये एवं मुझे विवेक भारद्वाज पुत्र श्री रामेश्वर करोसिया के नाम से पुकारा एवं पहचाना जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(बैजनाथ करोसिया)

नया नाम :

(विवेक भारद्वाज)

पुत्र-श्री रामेश्वर करोसिया,
पता-कै. के. कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू,
गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(259-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, गिरिजा यादव पत्नि श्री सुरेश सिंह यादव सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम गुड्डन यादव था. जो मेरे बच्चे देवेन्द्र सिंह यादव एवं प्रियांशु यादव के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. जबकि मुझे वर्तमान में गिरिजा यादव पत्नि श्री सुरेश सिंह यादव (GIRIJA YADAV W/o SURESH SINGH YADAV) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है गुड्डन यादव

और गिरिजा यादव मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे दोनों बच्चे देवेन्द्र सिंह यादव व प्रियाशु यादव के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम गुड्डन यादव पत्नि श्री सुरेश सिंह यादव के स्थान पर मेरा वर्तमान में प्रचलित नाम गिरिजा यादव पत्नि श्री सुरेश सिंह यादव (GIRIJA YADAV W/o SURESH SINGH YADAV) लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

गिरिजा यादव,

पत्नि-श्री सुरेश सिंह यादव,

निवासी-गली नं. 02, एम. एच. चौराहा,

मुरार, ग्वालियर.

(260-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता संध्या तिवारी पति श्री राजीव कुमार तिवारी, निवासी 15/658, तमेर पेट्रोल पंप के बगल में रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्यप्रदेश पिनकोड 486001 शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं समस्त दस्तावेजों में मेरे विवाह के पूर्व का नाम संध्या शुक्ला पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 07-05-2017 को श्री राजीव कुमार तिवारी पिता श्री माधव प्रसाद तिवारी से हुआ. विवाह होने के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती संध्या तिवारी पति श्री राजीव कुमार तिवारी हो गया है.

अतः अब मुझे मेरे नये नाम श्रीमती संध्या तिवारी से ही जाना, पहचाना जाये एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम :

(संध्या शुक्ला)

नया नाम :

(संध्या तिवारी)

(261-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में उत्तीर्ण मा. शि. मं. भोपाल की कक्षा 11वीं की अंकसूची अनुसार Shelendra Kumar पुराने पासपोर्ट अनुसार Shelendra Kumar Bhattा त्रुटिवश अंकित हो गया था. जबकि मेरा सही नाम शैलेन्द्र भट्ट (Shailendra Bhatt) है.

अतः मुझे भविष्य में सभी संदर्भों में मेरे सही नाम शैलेन्द्र भट्ट (Shailendra Bhatt) के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(शैलेन्द्र कुमार भट्ट)
(SHELENDRA KUMAR)

नया नाम :

(शैलेन्द्र भट्ट)
(SHAILENDRA BHATT)

E-5, एम. आइ. जी. ऋषिनगर,

उज्जैन (म.प्र.).

(262-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनुराधा समाधिया पत्नी श्री मुकेश समाधिया सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राधा शर्मा था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है, अब शादी के बाद मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती अनुराधा समाधिया पत्नी श्री मुकेश समाधिया हो गया है एवं अब मैं इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राधा शर्मा के स्थान पर श्रीमती अनुराधा समाधिया पत्नी श्री मुकेश समाधिया लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(राधा शर्मा)

नया नाम :

(अनुराधा समाधिया)

पत्नी-श्री मुकेश समाधिया,

निवासी-एचआईजी-7, माधवराव सिंधिया इन्कलेव,

थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(263-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हरीश पुत्र श्री रमेश, निवासी ए-5, न्यू गायत्री नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर है. वर्ष 2012 में कुछ व्यक्तियों द्वारा पीताम्बरा मंदिर, दतिया में जहरखुरानी कर अपहरण कर लिया था, जिससे प्रार्थी की याद्दाशत चली गई थी,

उसी समय मेरा आधार कार्ड सुनील ओंकार शाक्य पुत्र श्री ओंकार शाक्य एवं पेनकार्ड सुनील शाक्य पुत्र श्री ओंकार रामभजन शाक्य जन्म दिनांक 15-01-1980 अंकित कर तैयार करा लिया गया जो कि गलत है। मेरा सही नाम हरीश पुत्र श्री रमेश, जन्मतिथि 15-01-1979 है।

अतः भविष्य में मुझे पूर्व नाम हरीश पुत्र श्री रमेश के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सुनील ओंकार शाक्य/सुनील शाक्य)

पिता-श्री ओंकार शाक्य/श्री ओंकार रामभजन शाक्य

फ्लेट नं. 101, अतुर नगर, उन्डी नगर,

पूना सिटी, पूना.

(265-बी.)

नया नाम :

(हरीश)

पुत्र-श्री रमेश,

निवासी ए-5, न्यू गायत्री नगर,

तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पलता त्रिपाठी, पति श्री मनीष कुमार त्रिपाठी यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पेन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पलता त्रिपाठी दर्ज है। परन्तु मेरे बच्चों के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम मनु त्रिपाठी दर्ज है। मेरे बच्चों के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम मनु त्रिपाठी के स्थान पर पुष्पलता त्रिपाठी दर्ज किया जाए।

पुराना नाम :

(मनु त्रिपाठी)

पत्नी-श्री मनीष कुमार त्रिपाठी.

(266-बी.)

नया नाम :

(पुष्पलता त्रिपाठी)

पत्नी-श्री मनीष कुमार त्रिपाठी,

पता-विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, ROMI KUMAR AGRAWAL (रोमी कुमार अग्रवाल) S/o Mr. Hargovind Agrawal, aged 30 years, R/o Flat No. 3/302, Fine Enclave, Kolar Road, Bhopal, (M.P.) 462042 have decided to change my name to ROHAN AGRAWAL from today. That I shall be known by the name of Rohan agrawal (रोहन अग्रवाल) from now on for all purposes.

Old Name :

(ROMI AGRAWAL)

S/o Hargovind Agrawal,

R/o Flat No. 3/302, Fine Enclave,

Kolar Road, Bhopal-462042.

(280-B.)

New Name :

(ROHAN AGRAWAL)

S/o Hargovind Agrawal,

R/o Flat No. 3/302, Fine Enclave,

Kolar Road, Bhopal-462042.

CHANGE OF NAME

I, Monika Garg hereby declare that correct spelling of my name is mentioned in my Adhar Card and other documents but wrongly mentioned by mistake as MONICA GARG in my son Sarthak Garg's 10th class marksheet. I'll be known as my this correct name MONIKA GARG only.

Old Name :

(MONICA GARG)

W/o Dr. Ashish Garg,

211-212, Vikram Square,

Footi Kothi, Chouraha,

Scheme No. 71, Indore (M.P.).

(281-B.)

New Name :

(MONIKA GARG)

W/o Dr. Ashish Garg,

211-212, Vikram Square,

Footi Kothi, Chouraha,

Scheme No. 71, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, VIKAS AGARWAL शपथ करता हूँ कि मेरे ड्रायविंग लायसेंस, 10वीं, बी.ई. में सरनेम स्पेलिंग agrawal एवं मेरी 12वीं कक्षा अंकसूची में VIKAS KUMAR AGARWAL त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. जबकि सही नाम VIKAS AGARWAL है.

अतः भविष्य में मेरा सही नाम ही दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(VIKAS KUMAR AGARWAL)

(283-बी.)

नया नाम :

(VIKAS AGARWAL)

S/o Vinod Kumar Agarwal,

R/o Satyanarayan Santar,

Near Pandey House, Morar, Gwalior.

NOTICE**U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that in the firm 'M/s GIRNAR TRANSPORT COMPANY' Registered Office at 202,9/2 Suraj Villa, New Palasia, Indore, M.P. 452001 which was constituted vide Partnership Deed executed on 1st April, 2010 and the initial partners were:

1. Shri Shantilal Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
2. Shri Kantilal Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
3. Shri Suresh Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
4. Shri Ramesh Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
5. Shri Dipesh Agrawal S/o Late. Shri Dinesh Agrawal
6. Shri Pukhraj Agrawal S/o Shri Shantilal Agrawal
7. Shri Raviraj Agrawal S/o Shri Shantilal Agrawal
8. Shri Rahul Agrawal S/o Shri Kantilal Agrawal
9. Shri Neeraj Agrawal S/o Shri Ramesh Agrawal

In this firm subsequently following changes have occurred on 1st April 2015, Shri Shantilal Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal & Shri Kantilal Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal voluntarily retired from the firm w.e.f. 1st April, 2015. Now, present partners of the firms w.e.f. 1st April, 2015 are:

1. Shri Suresh Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
2. Shri Ramesh Agrawal S/o Shri Ghasilal Agrawal
3. Shri Dipesh Agrawal S/o Late. Shri Dinesh Agrawal
4. Shri Pukhraj Agrawal S/o Shri Shantilal Agrawal
5. Shri Raviraj Agrawal S/o Shri Shantilal Agrawal
6. Shri Rahul Agrawal S/o Shri Kantilal Agrawal
7. Shri Neeraj Agrawal S/o Shri Ramesh Agrawal

For-M/s Girnar Transport Company,
PUKHRAJ AGRAWAL,

(Partner).

(249-B.)

आम सूचना**(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन)**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिव शंकर एसोसिएट्स पंजीयन क्रमांक 125, सन् 2000-2001 दिनांक 13-03-2001 में भागीदार श्रीमती चंद्रप्रभा बाजपेयी पत्नी श्री रामकृपाल बाजपेयी का स्वर्गवास हो जाने के कारण भागीदारी से दिनांक 18-10-2017 को पृथक् हो गई है तथा श्री वी. पी. बाजपेयी पुत्र श्री आर. के. बाजपेयी फर्म की भागीदारी में दिनांक 08-07-2020 को सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स शिव शंकर एसोसिएट्स,

आराधना गोतम बाजपेयी,

(पार्टनर).

(252-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स स्पेसेज इंफोटेक (M/s SPACEAGE INFOTEK) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00080/11 व पंजीयन दिनांक 22-07-2011 तथा पंजीकृत पता 74, माँ विहार कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर है। जिसमें पंजीयन के समय दो भागीदार 1. श्री शरद देशमुख पिता श्री दत्तात्रय देशमुख, 2. श्री सुधांशु देशमुख पिता श्री शरद देशमुख थे। दिनांक 23-06-2020 को दोनों भागीदारों ने निजी कारणों से आपसी सहमती से फर्म को भंग (Dissolve) कर दिया गया है। अतः दिनांक 23-06-2020 को साझेदारी फर्म भंग (Dissolve) हो गयी है। जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों।

FOR-SPACEAGE INFOTEK,

शरद देशमुख,

(भागीदार)

पता 74, माँ विहार कॉलोनी, ए. बी. रोड,
इन्दौर, (म.प्र.).

(253-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स ऐरोटेक सी. एन. सी. (M/s ARROW TECH CNC) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00007/07 व पंजीयन दिनांक 12-04-2007 तथा पंजीकृत पता-1/14, एफ. श्रमिक कॉलोनी, ए. बी. रोड, राऊ इन्दौर, जिला इन्दौर है। जिसमें पंजीयन के समय पांच भागीदार (1) श्री एस सथीश कुमार पिता श्री एम शनमुगम, (2) श्री पी. रमेश पिता श्री एम. पलानिवेल, (3) श्री के पलानिसामी पिता श्री कदासामी, (4) श्री एम पार्थसारथी पिता श्री मालु चेतियार, (5) श्रीमति पी. ससिकला पति श्री पार्थसारथी थे। दिनांक 27-05-2017 को एक फर्म के एक भागीदार श्री पी. रमेश पिता श्री एम. पलानिवेल ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् दिनांक 31-03-2018 को फर्म के भागीदारी (1) श्री के पलानिसामी पिता श्री कदासामी, (2) श्री एम. पार्थसारथी पिता श्री मालु चेतियार, (3) श्रीमती पी. ससिकला पति श्री पार्थसारथी ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की एवं एक नए साझेदार श्रीमती उमा सथीश कुमार ने फर्म में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की जिसपर शेष भागीदारों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी साथ ही फर्म का पता-एस-2/1, सेक्टर-2 पीथमपुर, जिला धार करने का निर्णय लिया। अतः वर्तमान में फर्म के 2 भागीदार (1) एस सथीश कुमार पिता श्री एम. शनमुगम, (2) श्रीमती उमा सथीश कुमार पति एस. सथीश कुमार हैं। जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों।

मैसर्स ऐरोटेक सी. एन. सी.,

एस. सथीश कुमार,

(भागीदार)

पता-303, सिलिकॉन सिटी राऊ, इन्दौर.

(254-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स सामर्थ ग्रुप में भागीदार क्रमांक 1 श्री राघवेन्द्र ठाकुर वल्द श्री रामभरोसे ठाकुर आज दिनांक 14-09-2018 से फर्म से अलग हो रहे हैं एवं आज दिनांक 14-09-2018 से अनिला साहू फर्म से जुड़ रही हैं।

Saamarth Group,

अनुराग साहू,

(Partner)

Add. Bhuteshwar Road Bhagat Singh Ward
Sagar (M.P.).

(267-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म श्री पवनदेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में दिनांक 28-08-2020 से राजेन्द्र सिंह ठाकुर एवं राहुल सिंह ठाकुर फर्म से अलग हो रहे हैं एवं दिनांक 28-08-2020 से महेश सिंह ठाकुर एवं शोभित सिंह ठाकुर फर्म से जुड़ रहे हैं।

मैसर्स पवनदेव कन्स्ट्रक्शन कं.

शोभित सिंह ठाकुर,

(पार्टनर)

सागर.

(268-बी.)

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S. 72 OF INDIA PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for the public information that the constitution of the firm M/s SHUBH LABH DEVELOPERS having Office at A-301, Shubh Labh Prime, Khaj rana Square, Indore (M.P.) 452001 Stands

changed as under:-

That (1) Mr. Sameer Parekh S/o Mr. Jayant Parekh, (2) Mr. Manoj Parekh S/o Mr. Jayant Parekh and (3) Mr. Yash Parekh S/o Mr. Sameer Parekh were the partners of the above firm.

That Mr. Manoj Parekh S/o Mr. Jayant Parekh and Mr. Yash Parekh S/o Mr. Sameer Parekh have ceased to be partners in the firm and Mr. Jagdish Agrawal S/o Mr. Radheshyam Agrawal shall be admitting partner in the firm w.e.f. 1st April, 2017.

M/s Shubh Labh Developers,

SAMEER PAREKH, MANOJ PAREKH,
(Continuing partner) (Retiring Partner)
YASH PAREKH, JAGDISH AGRAWAL
(Retiring Partner) (Admitting Partner).

(264-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आर. आर. कन्स्ट्रक्शन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर रोहित वेनवाल पुत्र श्री राजेन्द्र वेनवाल, निवासी पी-66/10, डिफेंस कॉलोनी, गांधी नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश दिनांक 09-09-2020 से स्वेच्छा से अलग हो चुके हैं एवं फर्म में उपरोक्त दिनांक से नियमानुसार भागीदार सम्मिलित हुए हैं। बंटी राम शाक्य पुत्र श्री जगदीश शाक्य, निवासी मुन्द्राबजा, जौरा, जिला मुरैना म.प्र.

यदि किसी व्यक्ति को फर्म से कोई लेन-देन या नये पार्टनर के सम्मिलित होने से कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर सूचित करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा और न ही वह विधि मान्य होगा।

अतः सूचित हो.

द्वारा :-

उषा शुक्ला, एडवोकेट
कार्यालय पता-गीता भवन,
पुराना हाईकोर्ट, लश्कर,
ग्वालियर, (म. प्र.)

M/s. R R Construction,
रवि कुमार शाक्य,
(पार्टनर).
पता-26, दुर्गापुरी तानसेन रोड,
ग्वालियर मध्यप्रदेश.

(269-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ग्रीन ऑटोमोबाइल सर्विस जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00321/09, दिनांक 24-03-2009 है। जो एम. पी. नगर जोन-2, होशंगाबाद रोड, भोपाल में स्थित है, जिसमें दिनांक 30-01-2014 को भागीदार श्री हसन अली जी का पुत्र स्व. श्री सज्जाद हुसैन, निवासी 1, हमीदिया रोड, भोपाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं, फर्म का संचालन अब भागीदार आरिफ हसन एवं शब्बीर हसन के द्वारा किया जायेगा। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

For-Green Automobile Service,,
आरिफ हसन,
(भागीदार)
एम. पी. नगर जोन-2, होशंगाबाद,
रोड, भोपाल.

(270-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. माँ वैष्णो कंकरीट उद्योग का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी सागर द्वारा 06/12/04/00017/09 सन् 2009-10, दिनांक 25-06-2009 से किया गया है। फर्म में अभी तक भागीदार 1. श्रीमति उमा सिंह परमार पत्नी श्री अवनीश सिंह परमार, निवासी 374/4, रामधाम आश्रम अंतियाताल, शहर झांसी, जिला झांसी (उ.प्र.) हाल निवासी वार्ड नं. 4 नगर लौड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.) 2. श्रीमति विमला दीक्षित पत्नी श्री प्रमोद दीक्षित, निवासी चौबे कॉलोनी, वार्ड नं. 31 शहर छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) एवं 3. श्रीमति उपमा त्रिपाठी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी, निवासी वार्ड नं. 4 नगर लौड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.) है। लेकिन भागीदार क्र. 1. श्रीमति उमा सिंह, 2. श्रीमति विमला दीक्षित ने स्वेच्छा से अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण फर्म से लेन-देन का पूरा हिसाब कर भागीदारी की शर्तानुसार विधिवत् नोटिस एवं फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 03-10-2013 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म से भागीदारी समाप्त कर ली है, साथ ही दिनांक 03-10-2013 को श्रीमति राधा देवी दीक्षित पत्नी श्री नारायण दास दीक्षित, निवासी वार्ड क्र. 12 वनाफर मोहल्ला लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) एवं श्रीमति आशा देवी ब्राह्मण पत्नी श्री राजीव लोचन ब्राह्मण, निवासी देरी रोड, पेपेटक सिटी मकान

नं. MIG-120 छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) नये भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हुए हैं। श्रीमति उपमा त्रिपाठी फर्म में पूर्वत भागीदार आज भी है। अतः दिनांक 03-10-2013 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. माँ वैष्णों कंकरीट उद्योग, पुरा तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

M/s. Maa Vaishno Kankreet Udyog,

द्वारा-आशादेवी ब्राह्मण,

(पार्टनर)

जिला छतरपुर (म.प्र.).

(271-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Shiv Kumar Tamrakar Contractor registered partnership firm having Office at Purana Bazar No.1, Near Old Kotwali, Damoh changed its constitution due to death of Shri Rajendra Kumar Tamrakar on 01/12/2019 and joining of Shri Ashwani Tamrakar as a partner, with effect from 02/12/2019 vide partnership deed dated 01/01/2020.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s Shiv Kumar Tamrakar Contractor,

SHIV KUMAR TAMRAKAR,

(Partner).

(273-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म श्री जी स्टोन्स रजिस्टर्ड ऑफिस 6, सम्भव अपार्टमेन्ट, गोविन्दपुरी, ग्वालियर के नाम से है। जिसकी पार्टनरशिप डीड में दिनांक 15-07-2020 से निम्न परिवर्तन किया गया है। जिसके अन्तर्गत हमारे कुछ पार्टनर रिटायर हुये एवं एक पार्टनर नया आया है। रिटायर होने वाले पार्टनर निम्न हैं:-

1. ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
2. चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.

नये पार्टनर आये हैं, अंकुर गुप्ता पुत्र श्री जितेन्द्र गुप्ता, निवासी 500, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 15-07-2020 से फर्म की परिवर्तन बीच में किया गया है। यह परिवर्तन सभी पार्टनरों को पूरी तरह मान्य है। अगर किसी मान्यवर को आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के अन्दर उपरोक्त पते पर सूचित करें।

श्री जी स्टोन्स रजिस्टर्ड,

PRATEEK KHANDELWAL

ऑफिस 6 सम्भव अपार्टमेन्ट,

गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(274-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म श्री जी इन्फ्रा रजिस्टर्ड ऑफिस 6, सम्भव अपार्टमेन्ट, गोविन्दपुरी, ग्वालियर के नाम से है। जिसकी पार्टनरशिप डीड में दिनांक 17-07-2020 से निम्न परिवर्तन किया गया है। जिसके अन्तर्गत हमारे कुछ पार्टनर रिटायर हुये एवं एक पार्टनर नया आया है। रिटायर होने वाले पार्टनर निम्न हैं:-

1. अमित गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
2. चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
3. श्रीमती रोशनी चेतन प्रकाश गुप्ता पत्नी श्री चेतन प्रकाश गुप्ता, निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
4. श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री धमेन्द्र मिश्रा, निवासी प्लॉट नं. 1402, मैजिस्ट्रिक सिटिंग कल्याण, थाना महाराष्ट्र.

नये पार्टनर आये हैं, अंकुर गुप्ता पुत्र श्री जितेन्द्र गुप्ता, निवासी 500, सुरेश नगर, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 17-07-2020 से फर्म की परिवर्तन बीच में किया गया है। यह परिवर्तन सभी पार्टनरों को पूरी तरह मान्य है। अगर किसी मान्यवर को आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के अन्दर उपरोक्त पते पर सूचित करें।

श्री जी इन्फ्रा रजिस्टर्ड,

PRATEEK KHANDELWAL

ऑफिस 6 सम्भव अपार्टमेन्ट,

गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(275-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म श्री जी इन्फ्राटेक रजिस्टर्ड ऑफिस 6, सम्भव अपार्टमेन्ट, गोविन्दपुरी, ग्वालियर के नाम से है। जिसकी पार्टनरशिप डीड में दिनांक 15-07-2020 से निम्न परिवर्तन किया गया। जिसके अन्तर्गत हमारे कुछ पार्टनर रिटायर हुये एवं एक पार्टनर नया आया है। रिटायर पार्टनर विवरण:-

1. चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता.
2. ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, दोनों निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
3. नये पार्टनर आये हैं, श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री धमेन्द्र मिश्रा, निवासी प्लॉट नं. 1402, मैजिस्ट्रिक सिटिंग कल्याण, थाना महाराष्ट्र.

उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 15-07-2020 से फर्म की परिवर्तन बीच में किया गया हैं। यह परिवर्तन सभी पार्टनरों को पूरी तरह मान्य है। अगर किसी मान्यवर को आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के अन्दर उपरोक्त पते पर सूचित करें।

श्री जी इन्फ्राटेक रजिस्टर्ड,

PRATEEK KHANDELWAL

ऑफिस 6 सम्भव अपार्टमेन्ट,

गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(276-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म श्री जी इन्फ्राकोन रजिस्टर्ड ऑफिस 6, सम्भव अपार्टमेन्ट, गोविन्दपुरी, ग्वालियर के नाम से है। जिसकी पार्टनरशिप डीड में दिनांक 15-07-2020 से निम्न परिवर्तन किया गया। जिसके अन्तर्गत हमारे कुछ पार्टनर रिटायर हुये एवं एक पार्टनर नया आया है। रिटायर पार्टनर विवरण:-

1. चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता.
2. ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, दोनों निवासी ई-9, चेतकपुरी, ग्वालियर.
3. नये पार्टनर आये हैं, श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नी श्री धमेन्द्र मिश्रा, निवासी प्लॉट नं. 1402, मैजिस्ट्रिक सिटिंग कल्याण, थाना महाराष्ट्र.

उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 15-07-2020 से फर्म की परिवर्तन बीच में किया गया हैं। यह परिवर्तन सभी पार्टनरों को पूरी तरह मान्य है। अगर किसी मान्यवर को आपत्ति हो तो आज से 7 दिवस के अन्दर उपरोक्त पते पर सूचित करें।

श्री जी स्टोन्स रजिस्टर्ड,

PRATEEK KHANDELWAL

ऑफिस 6 सम्भव अपार्टमेन्ट,

गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(277-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सुपर डेव्हलोपर्स, पता-175/2, 185/203/1 ग्राम मालीखेडी, नेमावर रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.) स्थित है। जिसका पंजीयन क्रमांक-03/27/03/0051/10, दिनांक 04-06-2010 है जिसमें श्री ब्रजकिशोर गोयल व श्री ओम प्रकाश गोयल भागीदार थे।

उक्त फर्म में दिनांक 01-04-2011 से श्रीमती विनिता गोयल सम्मिलित हो गयी है व इसी दिनांक से श्री ब्रजकिशोर गोयल पृथक् हो गये हैं व दिनांक 01-04-2017 से श्रीमती विनिता गोयल फर्म से पृथक् हो गयी है, व इसी दिनांक से श्री पीयूष कुमार अग्रवाल सम्मिलित हो गये हैं व अब दिनांक 01-04-2020 से श्रीमती इंदिरा गोयल, नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है व इसी दिनांक से श्री ओम प्रकाश गोयल फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। अब उक्त फर्म संचालन 1. पीयूष कुमार अग्रवाल, 2. श्रीमती इंदिरा गोयल कर रहे हैं। सो विदित हो। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स सुपर डेव्हलोपर्स,

पीयूष कुमार अग्रवाल,

(भागीदार),

इन्दौर (म.प्र.).

(279-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म पी. बी. ग्रुप ऑफ कम्पनी जो HIG Sr. विंध्य बिहार कॉलोनी, रीवा, मध्यप्रदेश हुजूर-रीवा 486001 जिसका पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0191/15, दिनांक 12-02-2015 है। जिसमें श्री दिनेश कुमार सिंह बघेल पुत्र श्री उपेंद्रमणि सिंह

दिनांक 09-09-2020 अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं, दिनांक 09-09-2020 को श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सूर्य नारायण सिंह, निवासी B-475, सेक्टर 9, निगाही प्रोजेक्ट एन. सी. एल. सिंगरौली मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

M/s P B Group Of Company,

पुष्पेंद्र प्रताप सिंह,

(भागीदार).

(278-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अपने पक्षकार मेसर्स विशाल इन्फ्रा डेवलपर्स, पता-ई-8/128, शिवा कुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462039 के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म का पंजीयन क्र. 01/01/01/00551/14, सन् 2013-14 दिनांक 20-03-2014 में परिवर्द्ध हैं। दिनांक 15-11-2019 को उक्त फर्म के भागीदार अब्दुल कादिर पुत्र के खान, निवासी 7, भोजपाल मार्केट, छोला रोड, भोपाल जो अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को श्रीमती कोमल लुल्ला पत्नी श्री ग्रीश लुल्ला, निवासी ई-5/175, अरेरा कॉलोनी, भोपाल उक्त फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं। उक्त फर्म का साझेदारी संशोधन विलेख दिनांक 15-11-2019 को निष्पादित किया गया।

सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा: नरेन्द्र मूलचन्दानी,

(अधिवक्ता),

02 पुराना सचिवालय के सामने,

भोपाल (म.प्र.).

(282-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (देपालपुर), जिला इंदौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री आजाद कुमार पिता शांतिलाल जैन (मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी), तहसीलदार देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा “श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ” कार्यालय सदर बाजार गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ”.
पता	:	सदर बाजार, गौतमपुरा, देपालपुर
चल सम्पत्ति	:	18,500/- (अछरी अठ्ठारह हजार पाँच सौ रुपये)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1073)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री विजय कुमार शर्मा (मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी), तहसीलदार देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा “श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट” कार्यालय महात्मागांधी मार्ग देपालपुर, जिला इन्दौर का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात्

(30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट.
पता	:	महात्मा गांधी मार्ग, देपालपुर.
चल सम्पत्ति	:	500/- (अछरी पाँच सौ रुपये).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1035)

प्रतुल चन्द्र सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर

जूनी इन्दौर, दिनांक 7 सितम्बर, 2020

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.869/रीडर-1/19.—“ भगवानदास झालानी फैमेली चेरिटेबल, न्यास”, पता-1, न्यू पलास्या गली नंबर 2, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम एवं पता	:	“ भगवानदास झालानी फैमेली चेरिटेबल न्यास ”, पता-1, न्यू पलास्या गली नंबर 2, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र).

आज दिनांक 07 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1038)

अंशुल खरे,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इन्दौर

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक “चन्द्रकला मोहनलाल बंसल ट्रस्ट” इन्दौर तर्फे मोहनलाल बंसल, पिता श्री गणेशीलाल बंसल, कार्यालय पता-601, एन हाईट्स पी. यू. 3, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड, इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“चन्द्रकला मोहनलाल बंसल ट्रस्ट”.
पता	:	कार्यालय पता-न्यास, 601, एन हाईट्स पी. यू. 3, स्कीम नं. 54, ए. बी. रोड, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	1,01,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख एक हजार मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 21 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1039)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री राजेश पिता मांगीलाल मदनपुरीया अध्यक्ष, निवासी 28, बालदा कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा “श्री संत गाडगे बाबा परमार्थिक न्यास” कार्यालय पता-8, जंगमपुरा, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री संत गाडगे बाबा परमार्थिक न्यास”.
पता	:	कार्यालय पता-न्यास 8, जंगमपुरा, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	12,100/- (अक्षरी रुपये बारह हजार एक सौ मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	चल-अचल सम्पत्ति नहीं है. मात्र रु. 12,100 (अक्षरी रुपये बारह हजार एक सौ मात्र) के फण्ड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 21 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश राठौड़,
पंजीयक.

(1040)

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन

प्र.क्र. /बी-113/19-20.

उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

क्र./री.-2/2020/1483.—चूंकि आवेदक अध्यक्ष शंकरलाल जैन पिता रतनलाल जैन “नैचरल हेल्थ रिसॉर्ट फाउण्डेशन” ट्रस्ट पता-10, मंछामण एक्स्टेशन यंत्र महल मार्ग, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14 अगस्त, 2020 को प्रातः 10:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14 अगस्त, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	“नैचरल हेल्थ रिसॉर्ट फाउण्डेशन”
कार्यालय	:	10, मंछामण एक्टेसन यंत्र महल मार्ग उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5,000/- बैंक में एफडी के रूप में जमा.

(1036)

प्र.क्र. /बी-113/19-20.

उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

क्र./री.-2/2020/1484.—चूँकि आवेदक अध्यक्ष शंकरलाल जैन पिता रतनलाल जैन “सिटीजन राइट्स सोशल ऑग्रेनाइजेशन” ट्रस्ट पता-95/2, मंगल नगर आगर रोड, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14 अगस्त, 2020 को प्रातः 10:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14 अगस्त, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	“सिटीजन राइट्स सोशल ऑग्रेनाइजेशन”
कार्यालय	:	95/2, मंगल नगर आगर रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5,000/- बैंक में एफडी के रूप में जमा.

(1037)

आर. एम. त्रिपाठी,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला-भोपाल

प्र.क्र.003/बी-113/2020-21.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि “श्रीमती कृष्णा शर्मा परमार्थिक सेवा न्यास, भोपाल ट्रस्ट” द्वारा श्री शम्भूनाथ शर्मा आत्मज पं. जानकीनाथ शर्मा, निवासी ई-5/137, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा..... को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “श्रीमती कृष्णा शर्मा परमार्थिक सेवा न्यास, भोपाल ट्रस्ट”
द्वारा श्री शम्भूनाथ शर्मा आत्मज पं. जानकीनाथ शर्मा,
निवासी ई-5/137, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 11,000/-
3. अचल सम्पत्ति : ग्राम चूनाभट्टी खसरा क्रमांक 6/2/1/1/4 रकबा 1000 वर्गफिट.

आज दिनांक.....अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश गुप्ता,
रजिस्ट्रार.

(1074)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय परिसमापन एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/1155, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 एवं आदेश क्रमांक/825, दिनांक 07 जुलाई, 2020 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने के कारण धारा-70(1) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक
1	2	3
1.	गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्या., डूमर	2858/05-07-2005
2.	मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुधनी	3169/18-02-2015
3.	कुबेर साख सहकारी समिति मर्या., बीजनवाडा	3055/27-11-2010

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारों से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवशंकर पगारे,
सहकारी निरीक्षक.

(1042)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/665.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, गोतरा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्त की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/652, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री एम. के. आगाशे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री आगाशे द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1044)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/666.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पोंडी (वस्तुआ), जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1335, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्त की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/652, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री एम. के. आगाशे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री आगाशे द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1045)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/667.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, दुआरी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1353, दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्त की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/652, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री एम. के. आगाशे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री आगाशे द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1046)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/668.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा सव्यसांची रिक्सा चालक सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 04 जनवरी, 2003 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री माझी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1047)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/669.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/684, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा क्षत्रजीत कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., गाड़ा बवन सिंह, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 21 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1247, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1048)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/670.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/682, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा मुखर्जी प्लास्टिक एवं लीफ पार्ट निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 827, दिनांक 27 जुलाई, 2001 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1247, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1049)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/671.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मवई, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1050)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/672.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कपुरी बढौलिहान, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1288, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1051)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/673.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बूसी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1325, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1052)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/674.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साड़ा (शिवराजपुर), जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1326, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1053)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/675.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा अमर गौण खनिज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 830, दिनांक 31 जुलाई, 2001 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1054)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/676.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा आदर्श आदिवासी महिला मछली पालन सहकारी समिति मर्या., टमसार बरचर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 15 जुलाई, 2004 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1055)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/677.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोडार, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1292, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक 788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 से श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1056)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/678.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/510, दिनांक 14 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बढौना, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 01 अगस्त, 2002 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1057)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/679.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैंसवाही, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1058)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/680.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भदौरा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 947, दिनांक 25 फरवरी, 2004 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1059)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/681.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुसमहर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1400, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1232, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1060)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/682.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुआरा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1401, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1232, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1061)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/683.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलहा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1421, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1232, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1062)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/684.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौरा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 18 मई, 2016 जो कि पूर्व में स्वायत्त सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1232, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री एस. पी. पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1063)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/685.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा राजगो मुर्गी पालन सहकारी समिति मर्या., बंजारी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 945, दिनांक 23 फरवरी, 2004 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक श्री उइके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1064)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/686.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा श्री विश्वकर्मा तकनीकी निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 789, दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उइके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1065)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/687.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोचिटा, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उइके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1066)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/688.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिसुनी टोला, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 17 अगस्त, 2004 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उइके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1067)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/689.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., लालता चौक (बेलबाग), जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 09 अगस्त, 2005 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री उइके द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1068)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/690.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1416, दिनांक 01 सितम्बर, 2000 के द्वारा बुनकर सहकारी समिति मर्या., झलवार, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 262, दिनांक 03 अप्रैल, 1991 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के द्वारा श्री गणेश प्रसाद चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री चंद्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1069)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/691.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौहाल, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 18 मई, 2016 जो को पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरांत संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के द्वारा उक्त संस्था का परिसमापक श्री गणेश प्रसाद चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री चंद्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/692.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1105, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुन्दौर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1429, दिनांक 18 मई, 2016 जो को पूर्व में स्वायत्त सहकारिता अधिनियम अंतर्गत

पंजीकृत हुई थी को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरान्त संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1245, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के द्वारा उक्त संस्था का परिसमापक श्री गणेश प्रसाद चंद्रवंशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक श्री चंद्रवंशी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1071)

सीधी, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/693.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, जिला सीधी, पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 को अधिनियम की धारा-69 अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी के संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री माझी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हुये संस्था के पंजीयन निरस्तगी की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, वी. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) एतद्वारा समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. पाण्डेय,

उप-रजिस्ट्रार.

(1072)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल दिनांक 31 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2020/795(B).— जिले में स्थित धारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोचरो पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 28 फरवरी, 2015 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किया जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोचरो पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 28 फरवरी, 2015 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. यह भी आदेश देती हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट-बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शकुन्तला ठाकुर,

उप-पंजीयक.

(1043)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर, 2020-आश्विन 10, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक